

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2023/B1

दायरा तिथि : 13-04-2023

आदेश तिथि : 02-01-2024

प्रार्थी :-

श्री रमेश कुमार पुत्र हीरारामजी जाति मेघवाल निवासी बीजापुर तहसील बाली
जिला पाली (राज.)

ब न म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012
बाबत रेकॉर्ड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 02-01-2024

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बीरोलिया पटवार हल्का बेडल तहसील बाली के खसरा नंबर 152 रकबा 1.0500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बीरोलिया पटवार हल्का बेडल तहसील बाली के खसरा नंबर 148 रकबा 38.000 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, खुडाला ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2023/1325 दिनांक 26.10.2023 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, खुडाला की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1. यह है कि ग्राम बिरोलिया तहसील बाली के खसरा नंबर 152 रकबा 1.0500 हैक्टर भूमि प्रार्थी श्री रमेश कुमार पुत्र हीराराम जाति मेघवाल निवासी बीजापुर के नाम से खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खातेदार की धारित भूमि में प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। वर्तमान में आवेदक आवेदित भूमि में प्रस्तावित रास्ते की भूमि से ही आवागमन करता है।
2. प्रस्तावित रास्ता कटान रास्ता से नजदीकी दूरी पर खातेदारी भूमि स्थित है।
3. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	148	38.0000 हैक्टर	बारानी दायम	238x9= 2142 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

4. यह कि प्रस्तावित भूमि ग्राम बिरोलिया की डी.एल.सी. दर 117284रु/- रुपये प्रति हैक्टर है।
5. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशांषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।



पेज लगातार.....02

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज

//02//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2023 / 81

अनवान रमेश कुमार बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्थान
लिए आवेदन।
प्रति।

पत्रावली व उपलब्ध रेकार्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम विरोलिया तहसील वाली के खसरा नंबर 152 रकबा 1.0500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, वाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2023/1325 दिनांक 26.10.2023 से नया रेकार्ड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (गुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम विरोलिया पटवार हल्का बेडल के खसरा नंबर 152 रकबा 1.0500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम विरोलिया पटवार हल्का बेडल तहसील वाली के खसरा नंबर 148 रकबा 38.0000 हैक्टर किरम बारांनी दोयम में से 238 X09=2142 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार वाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, वाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रुपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 117284/-रुपये प्रति हैक्टर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
148	38.0000 हैक्टर	238X9=2142 वर्गमीटर	12	25704 X2=51408	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार राशि 51408/- (अक्षरे इक्यावन हजार चार सौ आठ रुपये मात्र) रुपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार वाली व निरीक्षक भू-अभि. खुडाला द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, वाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, वाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



क्रमांक / कोर्ट / 2024 / 34-38
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, वाली
2. निरीक्षक भू0अ0 खुडाला
3. पटवारी हल्का, बेडल
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील वाली
5. आवेदक श्री रमेश कुमार पुत्र हीरारामजी जाति मेघवाल निवासी बीजापुर तहसील वाली जिला पाली (राज.) को सूचनार्थ।



उपखण्ड अधिकारी
वाली (जिला-पाली) राज.
दिनांक : 04.01.2024

उपखण्ड अधिकारी
वाली (जिला-पाली) राज.